न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद बांरा राज0

पीठासीन अधिकारीः–दीनानाथ बबल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 5/19 निर्णय दिनांक 4/3/20

प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्तकारी अधि0

बउनवान

1–भोगीलाल पुत्र गजानन्द जाति किराड निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
2–कैलाश पुत्र गजानन्द जाति किराड निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद

–प्रार्थीगण

बनाम

1–कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी मंवरगढ तह0 किशनगंज
2–पदमसिंह पुत्र बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
3–सरदारसिंह पुत्र बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
4–किशन पुत्र बाबूलाल(नावालिग) जरिये बलि माता सन्तो पत्नि बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद जिला बांरा राज0।
5–हेमवती पुत्री बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
6–सपना पुत्री बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
7–रिंकी पुत्री बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
8–मंजू पुत्री बाबूलाल(नावालिग) जरिये बलि माता सन्तो पत्नि बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद जिला बांरा राज0।
9– सन्तो पत्नि बाबूलाल जाति गोंहजा निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
10–गुड्डीबाई पत्नि कैलाश जाति किराड निवासी जखोनी तह0 शाहाबाद
11–राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राज0।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 का स न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सूखासेमली पटवार हल्का जखोनी तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्वर 344 रकवा 22.00 बीघा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/3 कम 2 के नाम 1/72 व 2/9 तथा अप्रार्थी कम 3 लगायत 9 के नाम हिस्सा 1/9 का 7/72 तथा अप्रार्थी कम 10 के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज है इस खसरा नम्वर के हिस्सा 1/3 का मूल खातेदार रूगनी पुत्र गोवन्दी कौम नाई निवासी जखोनी था जिसकी मृत्यु उपरान्त फौती नामान्तरकरण संख्या 123 से उसके वारिसान पुत्र मन्नू व पुत्री गया के नाम दर्ज हुआ उसके बाद मन्नू ने अपने हिस्से 1/3 का 1/2 भाग दिनांक 30/3/2000 को विकय कर विकय पत्र का पंजीयन प्रार्थीगण के पक्ष में कराया है और मौके पर दखल व कब्जा संभलाया है इस विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 227 से अमल कर जमाबन्दी सम्बत 2055 से 2058 में अंकन किया है इसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने घोर लापरवाही वरतते हुए अगली जमाबन्दी में प्रार्थीगण का नाम हटाते हुय प्रार्थीगण की कयशुदा आराजी सहित 1/3 हिस्सा अकेली गया के नाम दर्ज कर दिया और गया के वारिसान ने प्रार्थीगण की कयशुदा आरांजी सहित सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 को अप्रार्थी कम 1 को विकय कर दिया यह विकय प्रार्थीगण के हकूकों के के मुकाबले प्रभावशून्य तथा बेअसर है। तथा अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण को आराजी के हिस्सा 1/6 से बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रार्थीगण आराजी के 1/6 हिस्सा पर बहैसियत मालिक काबिज होकर निरन्तर काश्त कर रहे है जिसमें हस्तक्षेप करने का अप्रार्थी कम 1 को कोई अधिकार नही है यदि अप्रार्थी कम 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो वह प्रार्थीगण को बेदखल करने में कामयाव हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी इत्यादि इत्यादि आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलव किया गया अप्रार्थी कम

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

2,4,6,8,9 व 10 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की स्वीकारोक्ति करते हुए जबाब पेश किया

अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये अपने जबाब में कथन किया है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का आज तक एक क्षण भी कब्जा नही रहा है प्रार्थीगण विवादित भूमि को दिनांक 30/3/2000 को कय करना कहते है उसे विकेता मन्नू द्वारा प्रार्थीगण को विकय नही किया है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पर इस बात का नोट अंकित है कि विकेता ने ख0 न0 344 की भूमि के विकय पत्र का निष्पादन नही कराया है प्रार्थीगण ने जिस मन्नू से आराजी ख0 न0 344 कय करना कहा है यह आराजी कभी भी मन्नू के खाते दर्ज नही रही है न ही मन्नू मृतक खातेदार रूगनी का पुत्र है मन्नू मृतक खातेदार की नाता शुदा पत्नि विरजी के साथ गेलड आया था इसके बाद विरजी व रूगनी के नुफते से गया नामक पुत्री हुई जो मृतक रूगनी की एक मात्र जीवित वैधानिक वारिस थी इसी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 123 वैधानिक रूप से दर्ज किया गया तथा गया की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज होने पर अप्रार्थी कम 1 ने विवादित आराजी जर्ये रजि0 विकय पत्र कय की है इस कारण विवादित आरजी का प्रार्थीगण को मन्नू को विकय करने का कोई अधिकार नही था इसके बाद भी आराजी ख0 न0 344 में इस तथ्य को छिपा कर धोखाधडी कर बेईमानी पूर्वक नीयत से अप्रार्थी कम 1 के खाते एवं कब्जे की जमीन को हडपने की नीयत से जमाबन्दी सम्बत 2055 से 2058 की कूटरचना कर नामान्तरकरण संख्या 227 से ख0 न0 344 का हिस्सा 1/6 अपने नाम दर्ज करना दर्शाया है जबकि नामान्तरकरण संख्या 227 से विवादित आराजी का कोई लेना देना नही है नामान्तरकरण संख्या 227 अन्य आराजी के सम्बन्ध में खोला गया है इस तरह अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में फर्जी साक्ष्य गठित कर आपराधिक कृत्य किया है जिसके लिये धारा 340 सी.आर.पी. सी. के प्रावधानों के अनुरूप माननीय न्यायालय को प्रार्थीगण के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना चाहिये विवादित आराजी अप्रार्थी कम 1 ने आराजी के तत्कालीन खातेदारान से जर्ये रजि0 विकय पत्र कय की है और कय करने के समय से ही बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा प्रार्थीगण का आज तक विवादित भूमि के किसी भी भाग पर कभी भी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी कम 1 ने विवादित भूमि को जर्ये रजि0 विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है अप्रार्थी कम 1 के रजि0 विकय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 1 के खाते की उक्त जमीन को विवादित जमीन बता कर फर्जी तरीके से हडपना चाहता है इस तरह प्रार्थीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नही है वादी ने असत्य तथ्यों पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नही है जिसे खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिय अपने प्रकरण को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया , सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का होना प्रमाणित करना होता है अतः बिन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार है।

प्रथम दृष्टया मामला:– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विवादित आराजी की वर्तमान नकल जमाबन्दी में अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी के हिस्से 1/3 का खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का विवादित आराजी के खाते में कोई नाम दर्ज नही है प्रार्थीगण का मुख्य वादाधिकार विकय पत्र दिनांक 30/3/2000 रहा है इसकी प्रति प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय ने पेश की है जिस पर यह स्पष्ट रूप से नोट अंकित है कि ख0 न0 344 रकबा 22 बीघा हिस्सा 1/3 में से 3.14 का निष्पादन नही किया है इससे स्वतः ही प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में प्रमाणित नही होता है।

सुविधा का संतुलन:–अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी के हिस्सा 1/3 का रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत आधारहीन पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण की तुलना मे अप्रार्थी

उपखण्ड अधि... शाहबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

कम 1 को भारी असुविधा होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता इस कारण इस प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नही होता है।

अपूर्णनीय क्षति :– उपरोक्त दोंनों बिन्दुयों के विववेचन उपरान्त प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना आधारहीन है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णीत किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 4/3/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद (राज.)

Scanned by CamScanner